UPBJ010082582024

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट नं0–1, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (प्रशांत मित्तल), (उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP06174

दीवानी प्रकीर्ण वाद संख्या– 164/2024

नसीरन मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी नूरपुर **बनाम** उ0प्र0 राज्य

दिनाँक 29–07–2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं0 ग–27 प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों को प्रार्थनापत्र कागज सं0 ग–27 पर सुना गया।

प्रार्थी नसीरन मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी नूरपुर की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं0 ग–27 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी द्वारा उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा 5–क(1) सोसाईटी अधिनियम–1860 वास्ते समिति की सम्पत्ति को बंधक रख ऋण लेने हेतु अनुमति दायर किया गया था, जो बहस नियत है। समिति को ''जनता इंस्टिट्यूट ऑफ रिसर्च सेन्टर'' के निर्माण हेतु ऋण की आवश्यकता थी, समिति द्वारा उपरोक्त प्रोजेक्ट को फिलहाज कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया है, जिस कारण वाद कारण समाप्त हो जाने के कारण यह वाद नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद सं0 164/2024 को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी का शपथपत्र दाखिल किया गया है।

प्रतिपक्षी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र पर दावा खारिज होने में कोई आपत्ति न होने का अंकन किया गया है तथा वाद को खारिज किये जाने का कथन किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद प्रार्थी नसीरन मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी नूरपुर द्वारा विपक्षी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विरुद्ध धारा 5–क(1) सोसाईटी अधिनियम–1860 (18 जुलाई 2022 संशोधित) के प्रकाश में नसीरन मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी नूरपुर तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर, उ0प्र0 को खसरा सं0 259/1 में से 1.366 हैक्टेयर एवं 259/2 में से 0.633 हैक्टेयर एवं 276 अ, ब में से 0.422 हैक्टेयर को फाईनेंस कम्पनी/बैंक में बंधक कर रुपये ऋण लेने के लिये अनुमति प्रदान किये जाने हेतु योजित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि समिति को ''जनता इंस्टिट्यूट ऑफ रिसर्च सेन्टर'' के निर्माण हेतु ऋण की आवश्यकता थी, समिति द्वारा

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.07.30 16:54:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उपरोक्त प्रोजेक्ट को फिलहाज कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया है, जिस कारण वाद कारण समाप्त हो जाने के कारण यह वाद नहीं चलाना चाहते हैं। प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद को वाद का परित्याग/वापस किये जाने की याचना की गयी है। चूंकि प्रार्थी को अब ऋण की आवश्यकता नहीं है और प्रार्थी अपने वाद आगे अग्रसारित नहीं कराना चाहता है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, प्रार्थी का प्रार्थनापत्र ग–27 स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र ग–27 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त दीवानी प्रकीर्ण वाद प्रार्थनापत्र ग–27 के आलोक में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(प्रशांत मित्तल)
अपर जिला जज, कोर्ट नं0–1,
बिजनौर।